फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी बनाम बद्री सिह

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट अपील संख्या 88/23 GCMS NO 2023/173

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.4.26	उभयपक्ष अधिवक्ता उप0। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत राजस्व विभाग एवं वन विभाग संयुक्त सर्वे टीम का गठन हो चुका है। राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त सर्वे टीम द्वारा सर्वे किये जाने के पश्चात ही वादग्रस्त आराज़ीयात की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अतः न्यायहित मे प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को संयुक्त सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की मौखिक सहमति के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 6/13 मे पारित निर्णय दिनांक 21.7.23 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात की राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात संयुक्त सर्वे रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए तथा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते